

## एचपीएससी, एचएसएससी के माध्यम से विश्वविद्यालयों में नयुक्तिका नरिणय वापस लया गया

### चर्चा में क्यों?

22 दसिंबर, 2021 को हरयाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने राज्य वधिनसभा में हरयाणा लोक सेवा आयोग और हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विश्वविद्यालयों में शकिषण और गैर-शकिषण कर्मचारियों की भरती के नरिणय वापस लेने तथा विश्वविद्यालयों में नयुक्तिका के संबंघ में अंतमि नरिणय लेने के लया एक समतिगठति करने की घोषणा की।

### परमुख बदि

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में वभिन्नि पदों पर नयुक्तियों के संबंघ में नरिणय लेने के लया पांच सदस्यीय समतिगठन कया जाएगा।
- इस कमेटी में राज्यपाल (कुलपति) के प्रतनिधि, उच्च शकिषा वभिण के प्रधान सचवि और तीन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को शामिल कया जाएगा। समति 15-20 दनिों में अपनी रिपोर्ट देगी।
- उन्होंने कहा कि एचपीएससी और एचएसएससी के माध्यम से की जाने वाली भरतियों के संबंघ में विश्वविद्यालयों को पहले भेजे गए पत्र को वापस ले लया गया है।
- मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि थूजीसी के नरिदेशों का पालन कया जाएगा। विश्वविद्यालयों में नयुक्तियों पारदर्शी तरीके से और योग्यता के आधार पर ही की जाएंगी। विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता बरकरार रहेगी।
- मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की तरज़ पर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लया डीए की दरों को 28 प्रतशित से बढ़ाकर 31 प्रतशित करने की घोषणा की। इससे राज्य के खजाने पर सालाना 672 करोड़ रुपए का अतरिकित बोझ पड़ेगा।
- उन्होंने हरयाणा सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लया नई पेंशन योजना के तहत केंद्र सरकार की तरज़ पर 1 जनवरी, 2022 से नयुक्ता के योगदान को 10 प्रतशित से बढ़ाकर 14 प्रतशित करने की घोषणा भी की। इस फैसले के लागू होने से कर्मचारियों को 25 करोड़ रुपए मासकि और 300 करोड़ रुपए सालाना का लाभ मलिंगा।
- इसके साथ ही मुख्यमंत्री खट्टर ने यह भी घोषणा की कि सदन में एक नई प्रणाली शुरू की जाएगी, जिसके तहत शून्यकाल में वधायकों द्वारा उठाए गए सवालों का लिखति जवाब राज्य सरकार द्वारा संबंघति वधायक को एक महीने की अवधि के भीतर दया जाएगा।